



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-17.03.2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त हाजी शेठा को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल- 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 554/2009, धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त हाजी शेठा पुत्र फैजल शेठा निवासी- गुरसाराज, ग्राम थाना मुराडोई, जिला-वीर भूमि पश्चिम बंगाल को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 17.03.2025 को मा0 न्यायालय ASJ-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट में अधिकतम 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल- 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी